Seventeenth Loksabha

>
Title: Regarding Supreme Court judgement on reservation for Schedule Castes /Schedule Tribes (SCs/STs).

-

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं । मुझे थोड़ा सा समय दीजिए । सर, बात यह है कि उत्तराखण्ड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है, उसको हटा दिया जाना चाहिए । सर, मुकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड का विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन था और इसमें बहस के दौरान प्रमुखता से दो चीजें सामने आई थीं । पहली यह कि अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सरकारी पदों की भर्ती पर उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है । दूसरा यह कि सरकार का कोई संवैधानिक कर्त्तव्य नहीं है कि वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे ।

सर, आप जानते ही है कि सदियों से हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव चलता आ रहा है । आजादी के बाद हमारे संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या, जो पूरी आबादी की एक तिहाई है, हमने इन सभी को संरक्षण देने के साथ ही इनके अधिकारों को निश्चित करने का काम किया है । सर, हमारे जमाने में शिड्यूल कास्ट सबप्लान, शिड्यूल ट्राइब सबप्लान और स्वर्गीय राजीव गांधी जी तो जो शिड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटी होती थी, उस पर एक्ट भी लेकर आए थे । आज इस सरकार को क्या हो गया है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो 15 और 7.5 प्रतिशत आरक्षण है, उस आरक्षण के अधिकार को सरकार छीनने

की कोशिश क्यों कर रही है?...(व्यवधान) सर, मैं पढ़ देता हूं ।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है । सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है । माननीय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सवा दो बजे एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है । ...(व्यवधान) सर, उत्तराखण्ड में वर्ष 2012 में किसकी सरकार थी, इसका उत्तर देना पड़ेगा । वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार थी । इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है फिर भी माननीय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सवा दो बजे एक स्टेटमेंट देंगे ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, ... *
(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इस बात को एक्सपंज करना चाहिए । अधीर रंजन चौधरी जी सरकार के खिलाफ जो कुछ बोल रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें सरकार का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है ।...(व्यवधान) 2012 में किसकी सरकार थी उत्तराखण्ड में? ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, क्या यह विपक्ष के साथ सही वार्ता हो रही है? ... (व्यवधान) आप बताइए । यह सरकार की तरफ से क्या रखा गया है? The Uttarakhand Government contended that there is no Fundamental Right to claim reservation in appointments or promotions in public posts. ... (*Interruptions*) There is no constitutional duty on the part of the State Government to provide reservation. What does this mean? Who are these people? ...(*Interruptions*) उत्तराखण्ड की तरफ से कौन सुप्रीम कोर्ट में

गया? …(व्यवधान) कौन सा वकील वहां गया, किसका पक्ष रखा? …(व्यवधान) यह आपको सदन के अंदर बताना चाहिए ।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा यह हुआ है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी भारत सरकार के खिलाफ अन-नसेसरली इन्होंने कमेंट्स किए हैं, उनको एक्सपंज करना चाहिए । …(व्यवधान) इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष: हां, कर दिया जाएगा ।

श्री चिराग पासवान जी ।

श्री चिराग पासवान (जमुई): धन्यवाद, सर । आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है ।

सर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है । आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है ।

12.37 hrs

(At this stage Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

आज यह इस सदन में चर्चा करने का कारण इसलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी, 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गईं, जिनमें कहा गया कि आरक्षण, चाहे सरकारी नौकरियों में या प्रमोशन में, एक मौलिक अधिकार नहीं है ।

सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशानिर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं हैं । मैं आग्रह करूंगा कि हमारी केन्द्र सरकार इस विषय पर हस्तक्षेप करे और आरक्षण से जुडे हुए जितने कानून हैं, उनको वन्स एंड फॉर ऑल, 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि समय-समय पर, रह-रहकर जो लोग न्यायालय में जाकर आरक्षण के बारे में प्रश्न-चिह्न उठाने का काम करते हैं, उनके लिए यह डिबेट ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाए । सर, मंडल कमीशन लागू होने के बाद समय-समय पर …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. आर. बालू जी ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, Shri Raja is speaking on the same subject. I will speak later on.

माननीय अध्यक्ष: आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं यह विषय उठाना चाहता हूं । क्या आप यह विषय उठाना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह गलत बात है ।

चिराग पासवान जी, आप बोलिए ।

श्री चिराग पासवान : सर, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको 9वीं सूची में डाला जाए ताकि समय-समय पर आरक्षण को लेकर जो लोग न्यायालय में चले जाते हैं, वन्स एंड फॉर ऑल वह डिबेट ही समाप्त हो जाए ।

सर, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वह भी कहीं न कहीं आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू किया गया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नवम्बर, 1992 को …(व्यवधान) सर, मुझे दो मिनट का समय दीजिए । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । …(व्यवधान)

12.38 hrs

(At this stage Shri Gaurav Gogoi and some other Hon. Members went back to their seats)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, article 16 (4) clearly talks about reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and also for the Other Backward Classes. This article 16(4) is a part of the Fundamental Rights under part III of the Constitution. Therefore, the contention which was made before the Supreme Court by the AG Counsel on behalf of the State of Uttarakhand, was not correct and the Uttarakhand Government is being run by the Bhartiya Janta Party …(*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी । उस सरकार ने यह डिसीजन लिया और उसके साथ पीआईएल आई । भारत सरकार का इस विषय में कोई लेना-देना नहीं है । भारत सरकार आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है । मेरा कहना है कि चिराग पासवान जी को अपनी स्टेटमेंट पूरी करने दी जाए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जब यह निर्णय होगा कि हम वक्तव्य देंगे । मेरा कहना है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है । फिर भी सरकार कह रही है कि हम अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे । निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यह सरकार का निर्णय तो नहीं है ।

…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष जी, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार का इसमें कुछ लेना-देना नहीं है । वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया था । उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी । कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था । उसके ऊपर पीआईएल हुई । इस विषय में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है ।...(व्यवधान)

श्री चिराग पासवान : अध्यक्ष जी, बार-बार इस तरह की जो बातें कही जाती हैं कि यह सरकार आरक्षण विरोधी है, यह सरकार दलित विरोधी है, यह ठीक नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पर पड़ता है । बहुत बड़ी आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आती है । ऐसी बातें करके आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं । यदि आरक्षण विरोधी हमारी एनडीए की सरकार होती, तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों को भी जो आरक्षण देने का काम किया गया, वह काम हमारी सरकार न करती । हमारी सरकार ने आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया । जब अनुसूचित जाति, जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को दंतहीन करने का प्रयास किया गया, तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी पहली पार्टी थी, जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली । सरकार ने हाउस का समय दो-तीन दिन एक्सटेंड करके उस कानून को लोक सभा और राज्य सभा से भी पास कराया । हमारी सरकार पूरी तरह से आरक्षण को लेकर कटिबद्ध है । आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उस पर चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री प्रिंस राज को श्री चिराग पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Mr. Speaker Sir, let the Members of the Treasury Benches have patience to hear us.

There are reasons to believe that ever since the inception of this Government, there is a continuous onslaught on the policy of reservation and social justice.…(*Interruptions*) I will come to you.…(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: You cannot say like this. Why are you talking against the Government now? What is the role of the Government in that? …(*Interruptions*) Shri Raja, you are a learned and senior Member. Do not try to attribute it to the Government. … (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : The political entity of the Uttarakhand Government and this Government is one and the same. It is identical. Nobody can deny it. The argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the BJP Government in Uttarakhand.…(*Interruptions*) It is on record. Is it not your Government? (*Interruptions*) It is an argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the Uttarakhand Government which is a BJP Government. Senior advocates appeared before the Supreme Court and they were categorical and paved way to the Supreme Court by claiming and arguing that reservation of SCs and STs is neither a fundamental right nor a constitutional right. … (*Interruptions*) Article 16(4) and Article 16(4)(a) are enabling provisions for reservation to socially and educationally backward classes including OBCs, BCs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others.

Sir, it has been settled in the B.K. Pavitra Case in the Supreme Court, with the larger Bench, not to go for any opinion of the State, not to go for any enumeration work. It is immaterial whether the socially or educationally backward people, BCs, SCs and STs, have been adequately represented or not. They are entitled for reservation by birth. That has been settled in the B.K. Pavitra Case. As against this Judgment,

now, a new Judgment came into existence. So, I urge upon the Government. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लम्बी डिबेट थोड़े ही करनी है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजीव रंजन जी, एक मिनट । अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दें । नियम प्रक्रिया के तहत अगर होगा तो एलाउ किया जाएगा । सबको बोलने का अधिकार है । आपको अधिकार है तो सबको है । राजीव रंजन जी, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट में बोलिए । बालू जी, आप तो हर विषय सुबह लेकर आते हैं, शाम को बोलते हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI A. RAJA : Sir, if the Central Government really have an inclination towards the people belonging to OBC, SC, ST to ensure their social justice, there are two options. Let them file a Review Petition before the Supreme Court or let them prepare a special legislation and include it in the Ninth Schedule. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री ए.राजा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष जी, 7 तारीख को जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, यह विषय बहुत संवेदनशील है और हम समझते हैं कि इस सदन में कोई भी दल और कोई भी सदस्य इस विषय पर दो मत नहीं है । …(व्यवधान) पूरा सदन एकमत है और जब पूरा सदन एकमत है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है तो ऐसे संवेदनशील मामलों पर

राजनीति नहीं होनी चाहिए ।...(व्यवधान) राजनीति करने का प्रयास नहीं होना चाहिए ।...(व्यवधान)

जब एससीएसटी एक्ट के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था तो सदन के बाहर पूरे देश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया और सरकार ने अध्यादेश लाकर यह साबित किया कि सरकार की मंशा क्या है । ...(व्यवधान) ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम समझते हैं कि सरकार इस मामले को भी सुलझाने में सक्षम है और सरकार सुलझाएगी ।...(व्यवधान)

12.47 hrs

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri T.N. Prathapan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया है, इस पर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी मुखिया का व्यू पहले से था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यह करके दिखाया था और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था करवाई गई थी ।...(व्यवधान) यह व्यवस्था आर्टिकल 16 के तहत पूरी तरह से व्यवस्थित है और उसके तहत यह संविधान में अधिकार दे रखा है कि कोई भी राज्य सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है ।...(व्यवधान) इस तरह की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय से आना और उसके पक्ष में उस प्रदेश की सरकार को इन लोगों के विरोध में कोर्ट में जाना यह साबित करता है कि ये पूरी तरह से एससीएसटी और दलित विरोधी सरकार है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस ताजा फैसले के खिलाफ

अपनी आपत्ति, अपनी असहमति दर्ज करती हूं जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि राज्यों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को वे बाध्य नहीं हैं और प्रमोशन में आरक्षण का दावा करने का उनको अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया, यह कोर्ट का आज तक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कुछ भी नहीं हो सकता है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ बार-बार इस प्रकार के जो फैसले आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी न्यायपालिका के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है ।...(व्यवधान) इसलिए मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बार-बार यह मांग करती हूं कि न्यायपालिका के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, उसको सुनिश्चित किया जाए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, संसद के पास यह अधिकार है कि कानून बना कर ऐसे मामलों का निपटारा करे । इससे पहले भी एक परिस्थिति आई थी, जब एससी/एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलाव किया गया था, तब हमारी सरकार ने अध्यादेश लाकर और एक नया कानून बना कर वंचित वर्गों के अधिकार को संरक्षित करने का काम किया था ।...(व्यवधान) आज फिर वैसी ही भयावह स्थिति खड़ी हुई है ।...(व्यवधान) इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार से मांग करना चाहती हूं कि इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करे और इस मामले का निपटारा करे, क्योंकि आज देश का वंचित वर्ग हाशिए पर खड़ा है और अपनी चुनी हुई सरकार से यह उम्मीद करता है कि इस तरीके के फैसले जो बार-बार कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, सरकार को इसमें सामने आ कर वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ।...(व्यवधान) धन्यवाद ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, if the verdict given by the Supreme Court on last Friday is implemented,

the very principle of social justice will be jeopardized. …(*Interruptions*) Now, the Government is asking as to what they have to do in this matter. The Government should not be a silent spectator because the basic principle of social justice should be adhered to. …(*Interruptions*) We all know that work and employment participation of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Minorities and the Other Backward Classes is very low in this country. …(*Interruptions*) In these circumstances, I humbly appeal to the Government to file a review petition in the Supreme Court against this verdict. …(*Interruptions*)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Mr. Speaker, Sir, the Government should file a review petition against this verdict. …(*Interruptions*) On behalf of our party, the Communist Party of India (Marxist), I demand that the Government should file a review petition and make a legislation in this regard, if necessary. …(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Speaker, Sir, I request the Government to immediately address this issue because it is creating confusion. …(*Interruptions*) I appreciate the Treasury Benches saying that they are doing something. But we need action; we do not need just words. …(*Interruptions*) So, I take this opportunity to request the Government to immediately intervene in this matter instead of just keep talking about it. …(*Interruptions*) We would appreciate if the Government could intervene in this matter urgently. …(*Interruptions*)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि इस संबंध में हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जी स्टेटमेंट देने वाले हैं । मैंने सभी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया था कि उनके स्टेटमेंट की प्रतीक्षा की जाए । यदि आप उनके स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं हैं और आज बहस चाहते हैं, तो इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सदन में बहस भी हो सकती है ।... (व्यवधान) क्षमा कीजिएगा, वर्ष 2012 में उत्तराखंड में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस के लोगों द्वारा, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है ।...(व्यवधान) सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए । ...(व्यवधान) सामाजिक न्याय मंत्री स्टेटमेंट देने वाले हैं, उसके बाद आपको जो बहस करनी है, आप वह कीजिए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी, 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर फैसला आया है । यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है । इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है । मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया है और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया है । उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5.09.2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिज़र्वेशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया था । यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ।... (व्यवधान) हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग

के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है । ...(व्यवधान) इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए ।

आज केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारी बात रखने दी जाए । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: स्टेटमेंट के बाद बात नहीं होती है । कानून बताओ, स्टेटमेंट के बाद बात थोड़े होती है ।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, कृपया जनरल बजट के ऊपर चर्चा कंटीन्यू करायी जाए । ...(व्यवधान) माननीय सोशल वैलवेयर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है । उसमें साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा लंबी चर्चा चलेगी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: न आपकी बात नोट हो रही है और न इनकी नोट हो रही है, बाकी बोलते रहना ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा लंबी होगी । लंबी चर्चा होगी तो मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे सामान्य बजट की चर्चा पर अधिकतम उपस्थित रहें ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं । भाषण बिंदुवार न हो कर धाराप्रवाह रूप में होना चाहिए । भाषण में कोई एनेक्श्चर शामिल नहीं करें । मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है ।

श्री गिरीश चन्द्र जी । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है । वे अपने मामलों पर अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें ।